(ख) यदि हां, तो उन्हें निर्धारित दरों पर मजूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख). यह मामला मुख्यत: राज्य क्षेत्राधिकार में आता है। राज्य सरकारों को समय समय पर सलाह दी जाती रही है कि वे अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दरों के प्रवर्तन के लिए प्रभावी कार्रवाइयां करें। जो कार्रवाइयां की गई हैं, उनमें से कुछ ये हैं—प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाना, श्रम विभाग तथा राजस्व कृषि और ग्रामीण विकास जैसे विभागों के कर्मचारियों की भी सेवाओं का उपयोग करना तथा दावा प्राधिकारियों की संख्या में वृद्धि करना।

इस्पात मजूरी बोर्ड द्वारा रिफ्रेक्टरीज संयंत्र के लिये सिफारिश किए गये वेतनमान

*570. **श्री रामदास सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात मजूरी बोर्ड द्वारा सिफारिश किये गये वेतनमानों के लिए रिफ्रेक्टरीज संयंत्र के श्रमिकों की मांग स्वीकार कर ली है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख). संभवत: माननीय सदस्य का संकेत हिन्दुस्तान स्टील लि० के रामगढ़ स्थित ऊष्मसह कारखाने के श्रमिकों की उस मांग से है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें भी वही वेतनमान मिलने चाहिएं जो कम्पनी के इस्पात कारखानों के श्रमिकों को मिलते हैं। यह एक ऐसा मामला है जो प्रबन्धकों और श्रमिकों द्वारा बातचीत से तय किया जाना है। 29 जून, 1977 को दोनों पक्षों में एक समझौता हो गया है जिसके फलस्वरूप ऊष्मसह कारखाने के श्रमिकों को संशोधित वेतनमान और कुछ अन्य लाभ दिये गये हैं।

Diseases due to Pollution in Visakhapatnam

*571. SHRI DRONAMARAJU SATYANARAYANA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that on account of pollution from Hindustan Polymers of Visakhapatnam, people are getting ill and suffering from various diseases; and

(b) if so, the steps being taken to check this menace?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

बन्धित श्रमिकों के पुनर्वास की योजना

*572. **श्री युवराज** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या अक्तूबर 1976 में हुए श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में यह महसूस किया गया था कि बन्धित श्रमिकों के पुनर्वास की वर्तमान योजना तथा गैर-योजना विकास योजनाएं अपर्याप्त हैं और केन्द्र से विशिष्ट एवं पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करके पृथक् कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या ठोस कार्यवाही की गई हैं और केन्द्र से विशिष्ट एवं पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करके